विविध बैंक प्रकरण सं0 04/2019 (RCMS 2019/00013) भारतीय स्टेट बैंक, रावला मंडी, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविंद कुमार लढा, मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–04, हनुमानगढ बनाम मैसर्स एम एम ब्रिक्स इंडस्ट्रीज प्रो. मनोज कुमार चुघ पुत्र श्री नारायण दास चुघ निवासी प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 02, पत्थर नं. 65/25, चक 2 जीडी(ए), तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स एम.एम. इंडस्ट्रीज – प्रो. श्री मनोज कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 6.00 लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.05.2014 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री मनोज कुमार चुघ की व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 16, मुरब्बा न . 02, पत्थर नं. 65/25, चक 2 जीडी(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 591.75 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 27.02.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 10.07.2018 को 7,67,149/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 10.07.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. एम.एम. ब्रिक्स इंडस्ट्रीज–प्रो. श्री मनोज कुमार चुघ द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्री मनोज कुमार चुघ की उक्त व्यावसायिक सम्पति प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 16, मुरब्बा न . 02, पत्थर नं. 65/25, चक 2 जीडी(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 591.75 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. एम.एम. ब्रिक्स इंडस्ट्रीज– प्रो. श्री मनोज कुमार चुघ को 6.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.05.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मै. एम.एम. ब्रिक्स इंडस्ट्रीज–प्रो. मनोज कुमार चुघ द्वारा अपनी अचल व्यावसायिक सम्पति प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 16, मुरब्बा न . 02, पत्थर नं. 65/25, चक 2 जीडी(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 591.75 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 27.02.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.07.2018 जारी किया गया है जिस पर अप्रार्थी प्रो. मनोज कुमार चुघ के स्वयं के हस्ताक्षर है एवं धारा 13(2) का नोटिस 09.08.2018 को रजिस्टर्ड पोस्ट जारी किया गया है, जिसकी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्राप्ति रसीद भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार मै. एम.एम. ब्रिक्स इंडस्ट्रीज– प्रो. श्री मनोज कुमार चुघ को उक्त धारा 13(2) का नोटिस स्वयं पर तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल व्यावसायिक सम्पति प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 02, पत्थर नं. 65/25, चक 2 जीडी(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 591.75 वर्गफुट) जो ऋणी प्रो. श्री मनोज कुमार चुघ के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.07.2018की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 10.07.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स एम.एम. ब्रिक्स इंडस्ट्रीज–प्रो. श्री मनोज कुमार चुघ के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

परिणामस्वरूप धारा 13(2) का मूल नोटिस रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रो. श्री मनोज कुमार चुघ द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक–शाखा रावला मण्डी, जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल** व्यावसायिक सम्पति प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 02, पत्थर नं. 65/25, चक 2 जीडी(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 591.75 वर्गफुट) जो कि ऋणी प्रो. श्री मनोज कुमार चुघ के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर